



Neutral Citation-2026: AHC:20578

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2981 / 2026

रामप्यारेयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य.प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: राम यश चौहान

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 3/नायब तहसीलदार, तहसील जाखनिया, जिला गाजीपुर को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 1519/2023

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202314290501519) (भारत और अन्य बनाम ग्राम सभा) का शीघ्रता से निपटारा करें।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के पूर्णतः अनुरूप, एक समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:

"(7) तहसीलदार, दाखिल खारिज (नामांतरण) के निर्विवाद मामलों का निर्णय, केस के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा; तथा दाखिल खारिज के विवादित मामलों का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो उसका कारण अभिलिखित किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के होते हुए भी, और साथ ही पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 3/नायब तहसीलदार, तहसील जाखनिया, जिला गाजीपुर को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और उसका निपटारा, कानून के अनुसार, उसकी अपनी खूबियों के आधार पर अत्यंत शीघ्रता से—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर—करें; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दें।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"